I/44886/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office, Chandigarh**

सत्यमेव जयते

फाइल नम्बर: 9-HRB129/2022-CHA **दिनांक: May, 2023**

सेवा में

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला, हरियाणा |

विषय: **Diversion of 0.1785 ha of forest land for access permission for transportation of Mining area at vill khanak under Forest Division and District Bhiwani, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/146575/2021).**

सन्दर्भ: i). नोडल ऑफिसर, हरियाणा के पत्र क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10371/373 दिनांक 12.05.2023.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए **0.1785** हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है|

2. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.12.2022 के अनुपालन में भेजा गया स्पष्टिकरण पूरी तरह से स्पष्ट नही है, **जिसका विवरण निम्न प्रकार से है: -**

i) **Query:** The dimensions of the proposed passage from 7.00 mts wide road has been proposed 20.5x85 mtrs, whereas in other such cases, the dimensions of such passages (entry/exit) are being considered by the State of Haryana are 6.00 mtrs, hence, revised passage (entry/exit) may be resubmitted accordingly.
Reply: इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त रास्ता खनन का मुख्य रास्ता है तथा इस रास्ते से ही खनन की 24x6 दिन खनन गतिविधि होती है। इस रास्ते से 6 मीटर में गाड़ियों का आवागमन होता है तथा 6 मीटर के रास्ते को गाड़ियों की लम्बी लाईन कवर करके रखती । खनन क्षेत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में जान माल की हानि को रोकने या कम करने के लिए एंबुलेंस तथा प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए शेष 3 मीटर का आपातकालीन रास्ता छोड़ा गया है। इसी कारण 6 मीटर के रास्ते के लिए आवेदन किया गया है।

इसमे पूछा कुछ गया है, और जबाब कुछ और भेजा गया है। राज्य सरकार सिर्फ प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त सूचना सीधे भेजने की वजाय, अपनी टिपण्णी, इस कार्यालय से पूछी गई स्पष्टीकरण से संबंध कर भेजे।

ii) **Query:** State Government has stated that proposed area comes under Section 4 of PLPA-1900, whereas in the last para of reply for EDS dated 7.1.2023, it has been stated that the proposed project area does not falls under PLPA.
Reply: प्रस्तावित स्थल पी०एल०पी०ए० 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है जहां बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती है। प्रस्तावित स्थल पर पी०एल०पी०ए० 1900 की धारा 4 व 5 लागू नहीं होती है और इस क्षेत्र में कोई Mining Activity नहीं की गई है।

यदि, प्रस्तावित स्थल मे PLPA 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है, तो धारा 4 व 5 लागू कैसे नहीं होती है?

iii) **Query:** This is a violation of FCA, 1980 case, no action has been initiated/taken by the State Government against the concerned official as per the provisions of FCA,1980. Hence, disciplinary action may be initiated against the erring official under FCA, 1980.
Reply: प्रस्ताव में शामिल भूमि अवर्गीकृत वन क्षेत्र है तथा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) शाखा से वन विभाग को स्थानांतरण हुई है और इस भूमि की Mutation दिनांक 05.01.2022 को हुई है। इस भूमि की सही पैमाईश करने पर ही स्थानांतरण हुई वास्तविक भूमि का पता चला है। तदोपरांत ही यूजर एजेंसी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतू लिखा गया और प्रस्ताव में Violation बारे Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।

अतः प्रस्ताव में शामिल वन भूमि लोक निर्माण विभाग से स्थानान्तरण हुई है, जो कि स्टोन कॅशर की भूमि होती थी और खानक पहाड़ के बिल्कुल साथ लगती है, जो कि उंची-नीची है। इसलिए बिना पैमाईश के इस भूमि का सही पता लगाना सम्भव नहीं था। यूजर

एजेन्सी द्वारा जिस तिथि से वन भूमि का प्रयोग रास्ते हेतू किया जा रहा है, उसी तिथि से पैनल सी०ए० की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।
I/44886/2023 अतः यूजर ऐजेन्सी से पैनल सी०ए० की राशि प्राप्त करके प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाना उचित होगा।

इस संबंध मे सूचित किया जाता है, की राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताए की **FCA 1980** का उल्लंघन है कि नहीं। यदि उलँघन है, तो **Guidelines** के अनुच्छेद **1.21** के तहत कार्यवाई की रिपोर्ट **(against State Official/User agency)** के साथ पूरा विवरण भेजे और **22.3.2022** के पश्चात सभी **violation** के प्रस्ताव मे **MoEFCC HO** द्वारा निर्णय लिए जाने है। अतः **penal provision MoEFCC HO** द्वारा तय किए जाएंगे। तदनुसार, **penal CA** की राशि हटा कर **FCA 1980** का उल्लंघन के बारे मे स्पष्ट सूचना इस कार्यालय को भेजे।

3. **उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनो के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है |**

भवदीय
-sd-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 26-05-2023 16:39:46

प्रतिलिपि:

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District District Bhiwani, Haryana. (dfo.bhwhry@nic.in)
2. Sh. Anil Kumar, SDO, HSIIDC STONE MINES, KHANAK, Haryana. (hsiidckhanak2021@gmail.com)